संख्या-55/2021/1665/58-2021

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बयर 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अधीन नवीन मांग के माध्यनम से गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के निमित व्यावस्थित के सापेक्ष स्वीऊकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-48/बजट/2021-22, दिनांक 27-8-2021 की ओर आपका ध्यातन आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तज (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-3-2021 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्ती य वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत नवीन मांग के माध्यसम से लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना में प्रावधानित धनराशि रू0-1062.50 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-114.00 लाख (धनराशि रू0 एक करोड चौदह लाख मात्र) को निम्निलखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धोंऔ के अधीन व्यनय किये जाने की वित्तीडय एवं प्रशासकीय स्वी कृति श्री राज्यरपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं : -

अनुदान संख्याह-10 (धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्ता की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-119- बागवानी तथा वनस्पिति की फसलें-03-नर्सरी-0306-गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1062.50	114.00

(धनराशि रू0 एक करोड चौदह लाख मात्र)

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में आँकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्तर नियंत्रक, उद्यान का होगा।
4. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्तच नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।
5. वित्तीवय स्वी कृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यतक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तयर पर की जाने वाली समस्तश ओपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतरू सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पभष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्याक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. निदेशक,उद्यान सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

9. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यनय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना में उपरोक्त तालिका में वर्णित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्तड विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-1029-दस-2021-2022, दिनांक-14 सितम्ब र, 2021 में प्राप्तो उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

<u>संख्या-55/2021/1665(1)/58-2021 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य1क कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क।रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) वित्तक नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्यक कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्ती य सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्तक (आय-व्यखय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्तक (व्यएय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in